

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-48/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० शगुफ़ता कलीम, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलसंड, सीतामढ़ी के द्वारा दिनांक-29.03.2020 से 10.04.2020 , दिनांक-26.07.2020 से 30.09.2020 एवं दिनांक-06.08.2021 से 21.09.2021 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2108(25) दिनांक-31.12.2024 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230, 248 एवं 180 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-29.09.2020 से 10.04.2020 तक	- कुल-13 (तेरह) दिनों उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-26.07.2020 से 04.08.2020 तक	- कुल-10 (दस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
iii.	दिनांक-05.08.2020 से 30.09.2020 तक	- कुल-57 (सत्तावन) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।
iv.	दिनांक-06.08.2021 से 02.09.2021 तक	- कुल-28 (अठ्ठाईस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
v.	दिनांक-03.09.2021 से 21.09.2021 तक	- कुल-19 (उन्नीस) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

ह० / -

(विद्यान्नद जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-48/2024-

1369(2)

पटना, दिनांक 1 / 8 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलसंड, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/डा० शगुफ़ता कलीम, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलसंड, सीतामढ़ी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

[Signature]
29/8/25